The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 3 | Issue 9 | September 2025
ISSN: 2583-973X (Online)
Website: www.theacademic.in

भारत में कृषि साख की रणनीति एवं चुनौतियाँ

आलोक प्रताप सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, किसान पीजी कॉलेज, बहराइच

DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.17328901

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Accepted: 26-09-2025

Published: 10-10-2025

Keywords:

पूर्ति आधारित रणनीति, मांग आधारित रणनीति, बहुएजेंसी दृष्टिकोण, सूक्ष्म वित्त और लघु वित्त बैंक।

ABSTRACT

भारत में कृषि साख हेतु विभिन्न प्रकार की रणनीति अपनाई गई। 1951–90 तक पूर्ति आधारित रणनीति की प्रमुखता और 1991–22 तक मांग आधारित रणनीति की प्रमुखता कृषि साख के क्षेत्र में देखने को मिलती है। 2010 के बाद से कृषि के क्षेत्र में भारत सरकार ने दोहरी रणनीति को अपनाया जिसके तहत एक तरफ साख के प्रवाह में मात्रात्मक रूप से वृद्धि की गई वही दूसरी तरफ बैंकों को निर्देशित किया गया कि साख लेने वाले किसानों को साख के साथ अन्य आवश्यक सुविधाएं इनके प्रदाताओ द्वारा उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। कृषि साख के क्षेत्र में आजादी के बाद से ही चुनौतियां मिलनी आरम्भ हो गयी जो आज भी उपस्थित है। आजादी के बाद से लेकर अब तक बैंकिंग क्षेत्र के अभूतपूर्व विस्तार के बाद भी लघु तथा सीमांत वर्ग के किसानों की गैर संस्थागत स्रोतों पर कृषि जनगणना 2015–16 के अनुसार 27% निर्भरता एक बहुत बड़ी चुनौती है।

Introduction

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ है। यह न केवल अधिकांश आबादी के जीवनयापन का साधन है अपितु हमारी सभ्यता संस्कृति और जीवन शैली का प्रतिबिंब भी है। आंकड़ों की दृष्टि से 2004–05 की कीमतों के आधार पर देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का अंशदान 1950– 51 में 53.1% था, जो 2013–14 में कम होकर 13.9% रह गया।[i] 2011–12 की कीमतों के आधार पर 2021–22 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का अंशदान सकल मूल्यवर्धन में 16.38% है।[ii] यद्यपि राष्ट्रीय आय में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का योगदान कम होता जा रहा है फिर भी इन क्षेत्रों पर आश्रित श्रम शक्ति 1951 में लगभग 70% थी। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2020 में 41.49% श्रम शक्ति कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में रोजगार प्राप्त कर रही थी।[iii] कृषि

एवं संबद्ध क्षेत्रों में साख की उपलब्धता एवं वितरण को सुनिश्चित करने के लिए अपनाए गए उपायों एवं नीतियों को कृषि साख की रणनीति कहा जाता है। कृषि साख की आवश्यकता को उद्देश्य के आधार पर उत्पादक,अनुउत्पादक और उपभोग संबंधी कार्यों के लिये वर्गीकृत किया जाता है। समय के आधार पर कृषि साख की आवश्यकता को 15 माह से कम की अवधि से लेकर 20 वर्ष तक की अवधि के लिए अल्पकालीन,मध्यमकालीन और दीर्घकालीन कृषि साख के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इन दोनों आधारों पर वर्गीकृत किए गए विभिन्न प्रकार के कृषि साख की पूर्ति हेतु समय–समय पर भारत सरकार ने राज्य सरकारों के सहयोग से विभिन्न प्रकार की रणनीतियां बनाई है जिन्हें अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से दो वर्गों में बांटा जा सकता है–

(1) पूर्ति आधारित रणनीति,

(2) मांग आधारित रणनीति।

पूर्ति आधारित रणनीति के अंतर्गत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की संस्थागत संस्थाओं के माध्यम से कृषि साख की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाता है। मांग आधारित रणनीति के अंतर्गत साख के साथ साख से जुड़ी अन्य आवश्यक सुविधाएं भी मुहैया कराई जाती है ताकि साख के बेहतर उपयोग के साथ वितरित कर्ज की समय पर वापसी सुनिश्चित हो सके। भारत सरकार ने कृषि साख की आपूर्ति हेतु इन दोनों प्रकार की रणनीतियों का चयन किया है जिन्हें आजादी से लेकर अब तक के कालखंड में दो हिस्सों बांट कर देखा जा सकता है–

(क)1951–1990 तक

(ख) 1991–2022 तक।

1951–1990 तक–इस दौर को आर्थिक सुधारों की पूर्व का दौर भी कहा जाता है। कृषि साख हेतु पूर्ति आधारित रणनीति को अपनाया गया। इसके अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं के स्थापना के माध्यम से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र को संस्थागत साथ उपलब्ध कराया गया। इस दौर में गैर संस्थागत स्रोतों की भी अच्छी खासी हिस्सेदारी देखने को मिलती है। सरकार की रणनीति कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए गैरसंस्थागत स्रोतों पर निर्भरता को धीरे धीरे कम करने की रही है। 1951 में गैर संस्थागत स्रोतों का कृषि साख में प्रतिशत हिस्सा 92.8% था जो 1991 में घटकर 36% रह गया।[iv] रिजर्व बैंक ने ग्रामीण साख पर डॉ ए.डी. गोरेवाला की अध्यक्षता में 1951 में "अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति" का गठन किया। समिति की रिपोर्ट 1954 में प्रकाशित की गई जिसमें बताया गया कि ग्रामीण साख की पूर्ति हेतु एक तो संस्थाये पर्याप्त नहीं है दूसरी तरफ जो हैं भी उनकी कुल कृषि साख में प्रतिशत भागीदारी बहुत कम लगभग नगण्य है। 1951 में कुल वितरित कृषि साख में संस्थागत संस्थाओं का हिस्सा 7.2% था जिसमें सहकारी समितियां 3.1% व्यापारी बैंक 0.8% और सरकार 3.3% की हिस्सेदारी रखती थी।[v] तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सहकारी साख संस्थाओं को ग्रामीण साख के विस्तार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी

सौंपी गई। समिति का मानना था कि सहकारी साख सबसे अच्छी और सस्ती है। अतः सरकार को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों को साख सुविधाएं सहकारी साख संस्थाओं के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। कृषि विकास हेतु मध्यमकालीन और दीर्घकालीन निवेश जरूरतों को पूरा करने के लिए 1963 में रिजर्व बैंक ने कृषि पुनर्वित्त निगम(ARC) की स्थापना की। 1975 में इसका नाम बदलकर कृषि पुनर्वित्त विकास निगम (ARDC) कर दिया गया। 1966 में भारत में हरित क्रांति को अपनाया गया जिससे कृषि क्षेत्र में साख की मांग तेजी से बढ़ी। 1966 में श्री वी.वेकेटप्पा के अध्यक्षता में "अखिल भारतीय ग्रामीण साख पुर्नसमीक्षा समिति" का गठन किया गया। समिति का सुझाव था कि सहकारी संस्थाएं तो अपना काम पूर्ववत करती रहेंगी परंतु व्यापारिक बैंकों को भी ग्रामीण साख के विस्तार की दिशा में विशेष भूमिका प्रदान की जानी चाहिए। सरकार ने समिति के सुझावों को ध्यान में रखते हुए जुलाई 1969 को 14 प्रमुख व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1980 में छह और व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण के पश्चात व्यापारिक बैंकों ने ग्रामीण साख के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया है। जून 1969 में व्यापारिक बैंकों की 8187 शाखाओं में से 1443 शाखाएं लगभग 17.6% ग्रामीण क्षेत्रों में थी।[vi] दिसंबर 1990 में व्यापारिक बैंकों की शाखाएं बढ़कर 59752 हो गयी जिसमें 34791 शाखाएं लगभग 58.2% ग्रामीण क्षेत्रों में थी।[अपप] 1972 में रिजर्व बैंक ने व्यापारिक बैंकों के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को उधार(PSL)की संकल्पना को परिभाषित एवं लागू किया। व्यापारिक बैंक अपने समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 40% घोषित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को देंगे। कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में रखा गया। कृषि व संबंधित क्षेत्रों को 18% दिया जाएगा। 1972 में रिजर्व बैंक ने ग्रामीण साख की आवश्यकता और उसकी आपूर्ति के संदर्भ में नरसिम्हन की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया। कार्यदल ने बताया की सहकारी संस्थाएं छोटे और सीमांत वर्ग के किसानों को पर्याप्त साख उपलब्ध करवा पाने में अक्षम रही हैं। व्यापारिक बैंकों ने अपने आप को बड़े किसानों तक सीमित करके रखा है। लगभग दो तिहाई साख की आपूर्ति गैरसंस्थागत स्रोतों द्वारा की जा रही है।कार्यदल की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद सरकार ने 2 अक्टूबर 1975 को 5 ग्रामीण बैंकों की स्थापना की। 1976 तक आते–आते भारत में कृषि साख की पूर्ति हेतु तीन संस्थाएं–सहकारी साख समितियां, व्यापारिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थे। कृषि साख की आपूर्ति की इस रणनीति को बहुएजेंसी दृष्टिकोण कहा जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 90% शाखाएं ऐसे इलाकों में खोली गई जहां पहले बैंकिंग सुविधाएं नहीं थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने अपने कुल वितरित कर्ज का 90% समाज के कमजोर तबके को दिया है। सिक्किम और गोवा को छोड़कर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सभी राज्यों में कार्यरत हैं। 1980 के बाद से ग्रामीण साख के लिए विशेष बैकिंग संस्थान की आवश्यकता को महसूस किया जाने लगा जो ग्रामीण साख के क्षेत्र में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं के कार्यों को समन्वित कर उनकी सहायता कर सकें। 12 जुलाई 1982 को शिवरमन कमेटी की संस्तुति पर "कृषि और ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय बैंक" (नाबार्ड) की स्थापना की गई। नाबार्ड ग्रामीण साख की शीर्ष संस्था है। इस दौर में ग्रामीण साख हेतु व्यापारिक बैंकों की 1969 में "लीड बैंक स्कीम" और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की 1988 में "सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण" को मांग आधारित रणनीति के रूप में देखा जाता है।1991–2022 तक–1991 में भारत में आर्थिक सुधारों के कार्यक्रम को लागू किया गया है। इस चरण में कृषि

साख की पूर्ति हेतु दोनों रणनीतियों का प्रयोग किया गया पर प्रमुखता मांग आधारित रणनीति की ही रही। 1992 में नाबार्ड ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले समाज के कमजोर तबकों, लघु एवं सीमांत किसानों को संस्थागत साख मुहैया कराने के लिए "स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम" को शुरू किया। इस योजना को सूक्ष्म वित्त योजना भी कहा जाता है। इस दौर में कृषि साख के क्षेत्र में कार्यरत वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी संस्थाओं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए विभिन्न समितियों और आयोगों का गठन किया। 1991 में वित्तीय प्रणाली पर गठित नरसिम्हन कमेटी, 1998 में ग्रामीण साख वितरण प्रणाली पर आर.बी. गुप्ता कमेटी, 1999 में सहकारी बैंकों के मॉडल में सुधार हेतु जगदीश कपूर की अध्यक्षता में गठित टास्क बल, 2001 में प्राथमिक साख समितियों के सुधार पर गठित व्यास समिति, 2004 में अल्पकालीन सहकारी संस्था की कार्यप्रणाली पर सुधार हेतु गठित वैद्यनाथन कमेटी, 2005 में व्यास समिति के सुझाव क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की विलयन प्रक्रिया को शुरू किया जाना इसी रणनीति का हिस्सा था। नाबार्ड ने 1995–96 में कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित 18% ऋण लक्ष्य पूरा नहीं करने वाले व्यापारिक बैंकों के के लिए ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि(RIDF) की स्थापना की। लक्ष्य पीछे रहने वाले व्यापारिक बैंको को बची हुई राशि RIDF में जमा करना होता था, जिसका उपयोग चल रही ग्रामीण आधारभूत संरचना परियोजनाओं को पूरा करने के लिए संसाधन पैदा करना था।नाबार्ड ने इस दौर में कृषि साख की अल्पकालीन जरूरतों पर विशेष ध्यान देते हुये वित्तीय वर्ष 1998–99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। वित्तीय वर्ष 2003–04 में भारत सरकार ने ग्राउंड लेवल क्रेडिट (GLC)नीति को अपनाया जिसके तहत संघीय बजट में प्रतिवर्ष कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए GLC लक्ष्य की घोषणा की जाती है, जिसको बैंकों को उसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त करना होता है। 2000 के बाद से देश के कुछ राज्यों मे सूक्ष्म वित्त संस्थानों (MFI) का ग्रामीण क्षेत्र में तेजी से विस्तार हुआ और इन्हे कृषि साख के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में देखा जाने लगा। 2011 में रिजर्व बैंक द्वारा गठित मालेगाम समिति की संस्तुति पर सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थान (विकास और नियामक) बिल 2012 द्वारा रिजर्व बैंक को सूक्ष्म वित्त संस्थान का नियामक घोषित किया गया। 2014 में रिजर्व बैंक ने "लघु वित्त बैंक" की स्थापना की। यह बैंक छोटे किसानों और असंगठित इकाइयों को ऋण देंगे। 2010 के बाद से भारत सरकार ने कृषि साख पर विशेष रूप से दोहरी रणनीति अपनाई है। पूर्ति आधारित रणनीति के तहत आने वाले वित्तीय वर्ष में GLC लक्ष्यों को बढ़ाया जाता रहा है। बैंकों को निर्देशित किया गया कि वह कृषि आधारित गतिविधियों के लिए अधिक मात्रा में ऋण उपलब्ध कराएं साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि ऋण वितरण के साथ आवश्यक सुविधाएं जैसे कच्चे माल को खरीदने, तैयार उत्पाद को बेचने के लिए बाजार की सुविधा तथा तकनीक एवं विशेषज्ञों की सुविधाएं आदि को इनके प्रदाताओं द्वारा किसानों को मुहैया कराया जाय।

चुनौती–कृषि साख के क्षेत्र में निम्न चुनौतियों की उपस्थिति देखने को मिलती है:–

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग शाखाओं के अभूतपूर्व विस्तार के बाद भी आज भी अधिकांश आबादी को संस्थागत स्रोतों से नहीं जोड़ा जा सका है। कृषि जनगणना 2015–16 के अनुसार कार्यशील जोत का 68.45%सीमांत किसानों के पास है ।यह वर्ग अपनी साख जरूरतों के लिए 63% गैर संस्थागत स्रोतों पर निर्भर है। साख की सर्वाधिक जरूरत लघु तथा सीमांत किसानों को होती है।सरकार, रिजर्व बैंक और नाबार्ड के सामने चुनौती है कि कैसे लघु और सीमांत किसानों की शत प्रतिशत साख आवश्यकताओं की पूर्ति संस्थागत स्रोतों से की जाय।

(2) कृषि साख का अधिकांश भाग बड़े किसानों के लिए उत्पादक कार्यों के लिए होता है, जबकि लघु और सीमांत किसानों के लिए उपभोग संबंधी कार्यों के लिए साख की आवश्यकता अधिक पड़ती है। बैंकिंग प्रणाली कृषि क्षेत्र को उपभोग कार्य के लिए ऋण नहीं देती है। गैर संस्थागत स्रोत इस कार्य के लिए आसानी से ऋण मुहैया करा देते हैं। सरकार के सामने चुनौती यह है कैसे वह उपभोग संबंधी कार्यों के लिए ऋण से गैर संस्थागत स्रोतों की निर्भरता खत्म करे और इन्हें संस्थागत स्रोतों से जोड़ें। बैंकिंग क्षेत्र के सामने चुनौती यह है कि कैसे हो इस तरह के ऋण को देते समय अपनी व्यावसायिक हानि को न्यूनतम करें।

(3) अधिकांश कृषकों का मानना है संस्थागत स्रोतों से मध्यमकालीन और दीर्घकालीन ऋण के संदर्भ में एक तो बहुत सारे कागजात तैयार करवाने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर ऋण मिलता है। बैंकिंग क्षेत्र के सामने चुनौती यह है कैसे ऋण प्रक्रिया को और सरलीकृत करें ताकि आवश्यक प्रपत्र भी उन्हें मिल जाए और किसानों को कम से कम असुविधा हो।

(4) कृषि साख के संदर्भ में कृषकों के बीच अल्प साक्षरता एक बहुत बड़ी चुनौती बन कर उभरी है। अधिकांश किसानों को साख प्रपत्रों को ढंग से पढ़ना और समझना नहीं आता है। आर्थिक उदारीकरण के बाद बैंकिंग क्षेत्र में तकनीक का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ा है। संचार के क्षेत्र में तेजी से नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। तकनीकी परिवर्तन व्यवस्था में पारदर्शिता,पहुंच और सुलभता को सुनिश्चित करते हैं। इसके लिए प्रयोगकर्ता को शिक्षित होने के साथ तकनीक को सीखने और अपनाने के प्रति प्रेरित होना पड़ता है। किसानों के साथ ग्रामीण क्षेत्र में चुनौती यह है कैसे उन्हें बदलती हुई तकनीक के साथ लेकर चला जाए जिसके लिए वह आसानी से तैयार नहीं होते हैं। बैंकिंग क्षेत्र के साथ चुनौती यह है कि अगर उन्होंने तेजी से बदलती हुई तकनीक को अपने साथ नहीं जोड़ा तो वह प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाएंगे।

(5) भारतीय राजनीति में कृषि क्षेत्र को वोट बैंक की राजनीति का विषय अधिक और अर्थव्यवस्था का उत्पादक क्षेत्र कम माना जाता है। समय–समय पर राष्ट्रीय और राज्य स्तर की राजनीति में इस प्रक्रिया के अंतर्गत उठाए गए कदमों से वह सत्ता में आए और बने रहे।अच्छे और प्रगतिशील किसानों को लाभान्वित होने से कोई दिक्कत नहीं है। इसका फायदा दायरे में आने वाले सभी किसानों को जो यह सोच कर ऋण लेते हैं कि चुनाव में सरकार ऋण माफ कर देगी, को अधिक मिला है। हाल के वर्षों में यह प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है।सरकार के सामने चुनौती है कि कैसे

सभी राजनीतिक दलों के बीच यह आम सहमति बनाई जाय है कि कोई भी दल कृषि साख के मुद्दों पर राजनीति ना करें। बैंको के सामने चुनौती यह है कि कैसे सरकार की इन घोषणाओं को पहले तो लागू करने से बचने का प्रयास करें। अगर लागू कर भी रहे हैं तो कैसे इसका लाभ अच्छे और प्रगतिशील किसानों तक शत–प्रतिशत पहुंचे और जो किसान इस श्रेणी में नहीं आते हैं उन को चिन्हित कर लाभार्थी बनने से रोकने का प्रयास करें।

---

[i] Reserve Bank of India, Handbook of Statistics on Indian Economy, 2011-12 & 2015-16

[ii] Ministary of Statistics & Programme Implementation (17.06.2021)

[iii] Htttps://tradeingeconomics.com

[iv] All India Rural Credit Survey, 1954 & All India Debt & Investment Survey Various Issues

[v] All India Rural Credit Survey 1954

[vi] Banking Statistics, 1972

[vii] Handbook of Statistics on Indian Economy, 2006-07, Table 3.22 Branch Network of Commercial Bank